माननीय श्री अजय तेवरी, न्यायमूर्ति के समक्ष.

रूपचंद — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य **और** अन्य — *उत्तरदाता*

2011 की सीडब्ल्यूपी नंबर 18203

1 अक्टूबर, 2013

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 226 - चिकित्सा प्रतिपूर्ति – हरियाणा सरकार की नीति दिनांक 6.5.2005 - आपातकालीन प्रमाण पत्र – आपत्तियां उठाई गईं - उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति केवल स्वीकृत अस्पतालों से - 6.5.2005 की नीति यह प्रदान करती है पीजीआई मूल्यों पर ***गैर-अनुमोदित अस्पतालों से लिए गए उपचार की प्रतिपूर्ति भी होती है किन्तु इस शर्त के साथ कि यह एक आपातकालीन उपचार होने के लिए प्रमाणित है***

– चिकित्सा राय प्राप्त करने के लिए राज्य को जारी किए गए समय बाध्य - निर्देश - सिविल सर्जन राय दें कि सर्जरी से गुजरना चिकित्सकीय रूप से आवश्यक था या नहीं - यदि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो तो भी ***सरकारी दरों पर प्रतिपूर्ति हो, भले ही सर्जरी से गुजरना कोई आपात स्थिति नहीं थी.***

निर्धारण, मेरी राय में राज्य का रुख अनुचित है. यह सत्यहै कि एक व्यक्ति द्वारा कोई गैर-आपातकालीन सर्जरी एक बिना स्वीकृत हस्पताल से करवाना, उसे प्रतिपूर्ति से इनकार करने के लिए कोई पूर्ण आधार नही हो सकता. हाँ, अगर कोई सर्जरी के लिए जाता है जो आवश्यक नहीं है तो ऐसे स्टैंड की सराहना की जा सकती है. लेकिन अगर सर्जरी अनुचित नहीं है और, अन्यथा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक है तो राज्य को PGI / AIIMS दरों के अनुसार ही प्रतिपूर्ति करनी चाहिए. यह भी देखा जा सकता है हरियाणा सरकार की 6.5.2005 की नवीनतम नीति ने मोटे तौर पर यह परिकल्पना किया यदि उपचार किसी सरकारी अस्पताल से लिया जाता है तो यह पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है और यदि उपचार एक अनुमोदित अस्पताल से लिया जाता है तो कर्मचारी PGI / AIIMS के दरो के अनुसार और शेष राशि यदि कोई हो का 75%, प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा. इस नीति के अनुसार तीसरी श्रेणी स्वीकृत अस्पताल कीहै और वहां से लिया गया कोई भी उपचार प्रतिपूर्ति योग्य है पीजीआई दरों के साथ, हालांकि, यह शर्त कि यह प्रमाणित होनी चाहिए एक आपातकालीन उपचार होना जरुरी था.

(पैरा *5)*

आगे निर्धारित किया कि, याचिका को एक निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि उत्तरदाता नं1 से 4 प्रतिवादी नंबर 5 सिविल सर्जरी के रूप में सर्जन (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोहतक) से एक राय प्राप्त करे कि - याचिकाकर्ता द्वारा करवाई गयी सर्जरी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक थी या नहीं. अगर सिविल सर्जन राय देता है कि यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक थी तो सरकार से याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति की जाएगी भले ही वो एक आपातकालीन सर्जरी नहीं थी. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने में उपरोक्त राय प्राप्त करने और इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई करने का निर्देश दियाजाताहै

(पैरा 8)

एस.के. शर्मा, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता*

सुश्री श्रुति गोयल, एएजी, हरियाणा.

<u>निर्णय</u>

माननीय अजय तिवारी, न्यायमूर्ति **(मौखिक):**

(१) याचिकाकर्ता आबकारी और कराधान विभाग से सेवानिवृति की उम्र प्राप्त करने के बाद 31.07.2009 को सेवानिवृत्त हुए I पर 26.10.2010 वह अपने रिश्तेदारों को देखने दिल्ली गया था जहाँ उसे अचानक उसकी छाती में दर्द महसूस हुआ. उन्हें तुरंत भगवती अस्पताल , सेक्टर 13, रोहिनी, दिल्ली ले जाया गया जहां वह दो दिनों तक भर्ती रहे.

वहां उसे उच्च रक्तचाप के साथ मधुमेह कोरोनरी धमनी रोग- तीव्र एमआई-विलंबित प्रस्तुति के साथ ट्रिपल पोत रोग शपथ एमआर के साथ शपथ एलवी शिथिलता का निदान किया गया था I 28.10.2010 को उसे छुट्टी दे दी गई एवम उसके बाद उन्हें मैक्स हार्ट संवहनी संस्थान, साकेट, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया और जहां उन्हें 30.10.2010 को धमनी बाईपास ग्राफ्ट (हार्ट सर्जरी) कोरोनरी से गुजरना पड़ा और 08.11.2010 को उन्हें छुट्टी दे दी गई इसके बाद याचिकाकर्ता ने उसके इलाज पर उसके द्वारा किए गए खर्च के लिए रूपये 3,55,355 / - की राशि के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तीन फॉर्म जमा किएI तीनों में से दावे, Rs 2985 / - और Rs 24,000 / - के लिए 26.10.2010 से 28.10.2010 की अवधि के लिए दावा केवल प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा अनुमोदित किया जाना था. यह सत्य है कि याचिकाकर्ता को अब तक दावे की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है. तीसरा दावा फॉर्म Rs 3,28, 370 / - 28.10.2010 से 8.11.2010 की अवधि के लिए प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अनुमोदित किया जाना था. प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कुछ आपत्तियों को उठाया गया था जो याचिकाकर्ता द्वारा अनुपालन किया गया था लेकिन प्रतिवादी नंबर 6 , अर्थात. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोहतक. द्वारा आपातकालीन प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है याचिकाकर्ता राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त के लिए करने के लिए यहाँसेवहां भटक रहा है लेकिन उत्तरदाता एक के बाद एक तुच्छ आपत्तियाँ उठा रहे हैं. इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने विभिन्न अभ्यावेदन भी दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए वर्तमान याचिका आई है I

(2) उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया तर्क यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा करवाई गई सर्जरी आपातकालीन सर्जरी नहीं थी एवम उपचार एक अनुमोदित अस्पताल से नहीं लिया गया था तथा याचिकाकर्ता ने पूर्ण कागजात प्रस्तुत नहीं किए ताकि सिविल सर्जन द्वारा राय दी जा सके कि क्या उनके द्वारा करायी गई सर्जरी आकस्मिक थी या नहीं और यह याचिका खारिज करने योग्य है क्युकी यह परिपकव्व नही हुई हैI

(3) याचिकाकर्ता के लिए वकील ने कहा कि भले ही पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकती, फिर भी AIIMS / PGI की दरों पर याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए I

(4)विद्वान एएजी ने तर्क दिया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार उस स्थिति में किसी भी प्रतिपूर्ति के अनुदान की परिकल्पना नहीं की

गई है जहाँ उपचार गैर-अनुमोदित अस्पताल से लिया गया हो , यह तभी संभव है जब उपचार आपातकालीन हो, याचिकाकर्ता किसी भीभुगतान केपात्र नही हैं I

मेरी राय में राज्य का रुख अनुचित है. यह सत्यहै कि एक व्यक्ति द्वारा कोई गैर-आपातकालीन सर्जरी एक बिना स्वीकृत हस्पताल से करवाना, उसे प्रतिपूर्ति से इनकार करने के लिए कोई पूर्ण आधार नही हो सकता. हाँ, अगर कोई सर्जरी के लिए जाता है जो आवश्यक नहीं है तो ऐसे स्टैंड की सराहना की जा सकती है. लेकिन अगर सर्जरी अनुचित नहीं है और, अन्यथा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक है तो राज्य को PGI / AIIMS दरों के अनुसार ही प्रतिपूर्ति करनी चाहिए. यह भी देखा जा सकता है हरियाणा सरकार की 6.5.2005 की नवीनतम नीति ने मोटे तौर पर यह परिकल्पना किया यदि उपचार किसी सरकारी अस्पताल से लिया जाता है तो यह पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है और यदि उपचार एक अनुमोदित अस्पताल से लिया जाता है तो कर्मचारी PGI / AIIMS के दरो के अनुसार और शेष राशि यदि कोई हो का 75%, प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा. इस नीति के अनुसार तीसरी श्रेणी स्वीकृत अस्पताल कीहै और वहां से लिया गया कोई भी उपचार प्रतिपूर्ति योग्य है पीजीआई दरों के साथ, हालांकि, यह शर्त कि यह प्रमाणित होनी चाहिए एक आपातकालीन उपचार होना जरुरी था. ***महिपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1),*** में इस उच्चन्यायलय दो जजों की बेंच के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

" "8. **

ऐसे मामले में जहां इंसान का जीवन दांव पर है, तो यह बहुत ही तकनिकी आधार है कि वह अनुमोदित अस्पतालों की सूची खोजेगा I और फिर तय करे हैं कि आपातकालीन स्थिति में किस अस्पताल में जाना है I कभी-कभी होता है अस्पताल रोगी को समायोजित ना करें और उस समय परिचर (परिवारजनों) से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे पहले अनुमोदित / मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची खोजे जहाँ चिकित्सा प्रतिपूर्ति होतीहो और फिर उपचार के लिए आगे बढ़ें. आपात स्थिति में रोगी के परिचर द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए I यदि इस तरह सख्ती से नियम लागू होते हैं, तो यह एक विनाशकारी स्थिति पैदा करेगा और रोगी मर भी सकता है. आपातकाल में किया गया कोई भी कार्य पैसे से तौला जाता है, खासकर जब मानव जीवन जुड़ा होता है I नि: शुल्क

चिकित्सा उपचार या प्रतिपूर्ति का प्रावधान कल्याणकारी राज्य की लाभकारी योजना जिसके नियमों / निर्देशों को उदारतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए I

कर्मचारियों के पक्ष में, उन्हें राहत देने के लिए अधिकारियों को सख्त रवैया नहीअपनाना चाहिए बल्कि मानवीय समस्याओं को निपटाने के मानवीय कोण होना चाहिए

इसी विषय पर ***श्रीमत शॉल बाला मित्तल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,*** सीडब्ल्यूपी में 2007 का नंबर 10745, 19.02.2009 को तय किया गया, ***ओम कुमारी वी. राज्य का हरियाणा और एक अन्य,*** 2013 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1711 में पारित किया गया 23.07.2013 और ***तेज राम यादव वी. हरियाणा राज्य*** सीडब्ल्यूपी नं. 2011 के 130 ने 25.07.2013 को फैसला किया. श्रीमती शैल बाला मित्तल (सुपर) के मामले में. कोई अपील दायर नहीं की गई है और भुगतान किया गया है.

(6) विद्वान एएजी किसी भी विपरीत निर्णय का हवाला नहीं दे पाये है.

(7) पूर्वोक्त बाध्यकारी मिसाल के मद्देनजर इस याचिका को एक निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि उत्तरदाता नं1 से 4 प्रतिवादी नंबर 5 सिविल सर्जरी के रूप में सर्जन (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोहतक) से एक राय प्राप्त करे कि -याचिकाकर्ता द्वारा करवाई गयी सर्जरी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक थी या नहीं. अगर सिविल सर्जन राय देता है कि यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक थी तो सरकार से याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति की जाएगी भले ही वो एक आपातकालीन सर्जरी नहीं थी. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने में उपरोक्त राय प्राप्त करने और इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हरिकिशन
प्रशिक्षु
न्यायिक अधिकारी
गुरुग्राम
हरियाणा